

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं० : 80/2018

अनवान :

1. पप्पु पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी मुन्दडियावडा त० भादरा। - वादी


व न म

1. काशीराम पुत्र श्री हजारी जाति जाट निवासी मुन्दडियावडा त० भादरा मृतक।
1.अ समादेवी पत्नी काशीराम जाति जाट निवासी मुन्दडियावडा त० भादरा।
2. लिलुराम पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी मुन्दडियावडा त० भादरा।
3. हेमराज पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी मुन्दडियावडा त० भादरा।
4. सतवीर पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी मुन्दडियावडा त० भादरा।
5. राकेश पुत्र स्व० महावीर जाति जाट निवासी मुन्दडियावडा त० भादरा।
6. बुधराम पुत्र स्व० महावीर जाति जाट निवासी मुन्दडियावडा त० भादरा।
7. मैना पुत्री स्व० महावीर जाति जाट निवासी मुन्दडियावडा त० भादरा।
8. सुमन पुत्री स्व० महावीर जाति जाट निवासी मुन्दडियावडा त० भादरा।
9. पार्वती उर्फ पारी पत्नी स्व० महावीर जाति जाट निवासी मुन्दडियावडा ।
10. सुरजी पुत्री काशीराम जाति जाट निवासी मुन्दडियावडा त० भादरा।
11. धापी पुत्री काशीराम जाति जाट निवासी मुन्दडियावडा त० भादरा।
12. बाला पुत्री काशीराम जाति जाट निवासी मुन्दडियावडा त० भादरा।
13. ओरियन्ट बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक भादरा।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजसव भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुन्शीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सरजीत बिजारणियां की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मुन्दडिया बडा खाता सं० 13/12 के खसरा सं 1, 22, 37, 54, 81, 295, 314 कुल खसरा 7 की 54.846 है० बरानी खातेदारी में वादी के पिता काशी पुत्र हजारी के नाम 1/7 हिस्सा खातेदारी दर्ज है उसमें काशी पुत्र हजारी का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी सं० 2 ता 4 प्रत्येक को 1/35-1/35 हिस्सा के अनुसार व प्रतिवादी सं० 5 ता 9 को संयुक्त रूप से 1/35 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। चुकि प्रतिवादी सं० 1 अ व 10 ता 12 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 2 ता 9 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजसव रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(शकुन्तला चौधरी) कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़